न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस.

उनवान

सुरेश चंद पुत्र स्व0 श्री केदार लाल जाति महाजन (अग्रवाल) आयु 57 साल निवासी केन्द्रीय बस स्टैण्ड के पीछे, सत्यवती विहार, करौली तहसील व जिला करौली

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली – प्रत्यर्थी

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 30.11.2018 मुकदमा उनवानी सरकार जरिये पटवारी हल्का करौली–9 बनाम सुरेश प्रकरण संख्या 232/2018

निर्णय

दिनांक–26.06.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि मातहत अदालत द्वारा उक्त निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुये पारित किया गया है, जो निर्णय आरबेट्री एवं पारवर्शी होने के कारण काबिल मंसूख है। मातहत् अदालत् द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को जो नोटिस तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जारी किया गया था, उस नोटिस में प्रार्थी अपीलाण्ट के विरूद्ध कतई गलत तथ्य अंकित किये गये थे, जो तथ्य मौका पटवारी रिपोर्ट के भी विपरीत अंकित किये गये थे। जिस नोटिस की प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा मातहत् अदालत में सही तथ्यों के साथ दिनांक 16.11.2018 को अपनी जबावदेही मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी गयी थी और जिस जबावदेही के प्रस्तुत हो जाने के बाद मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही उक्त प्रकरण में प्रार्थी अपीलाण्ट की ओर से बहस सुनी गयी और प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये दिनांक 30.11.2018 को प्रार्थी अपीलाण्ट एवं उनके वकील साहब की जानकारी में लाये बिना तारीख पेशी दिये उक्त निर्णय पारित कर दिया गया, जो निर्णय कतई विधि–प्रतिकूल हैं और प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है इसलिये उक्त आदेश मातहत् अदालत् काबिल मंसूख है। मातहत अदालत ने उक्त पत्रावली में दिनांक 16.11.2018 को तारीख पेशी 26.11.2018 की नियत की गयी थी और जिस तारीख पेशी पर मातहत् अदालत द्वारा चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण कोई आगामी तारीख पेशी उक्त पत्रावली में नहीं दी गई थी बल्कि पूछने पर रीडर साहब द्वारा यह कहा गया कि "पी.ओ. साहब राज. विधानसभा चुनाव कार्य में व्यस्त चल रहे हैं और पत्रावली उन्हीं के पास में है इसलिये चुनाव हो जाने के बाद आगामी तारीख पेशी बता दी जायेंगी।" जिस पर प्रार्थी अपीलाण्ट एवं वकील साहब द्वारा विश्वास किया गया लेकिन मातहत

जिला कलक्टर
करौली

अदालत द्वारा उक्त पत्रावली में बिना प्रार्थी अपीलाण्ट एवं वकील साहब को सुने उक्त निर्णय पारित कर दिया गया और जिस निर्णय पर निर्णय पारित करने की तिथि दिनांक 30.11.2018 अंकित कर दी गयी, जिस निर्णय की प्रार्थी अपीलाण्ट को दिनांक 13.12.2018 को राज. विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद आगामी तारीख पेशी के बाबत् जानकारी करने पर हुयी और जानकारी होते ही प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अपने वकील साहब के माध्यम से निर्णय की एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के वास्ते मातहत अदालत में अर्जी प्रस्तुत की गयी और दिनांक 17.12.2018 को मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व अन्य दस्तावेजातों की नकलें प्राप्त हुई, तब प्रार्थी अपीलाण्ट को मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई, इससे पूर्व प्रार्थी अपीलाण्ट को मातहत अदालत द्वारा पारित उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, तब यह अपील निर्णय की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय में प्रार्थी अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत की जा रही है। नोटिस में वर्णित आराजी खसरा नं. 5322 रकबा 2 विस्वा एवं खसरा नं. 5323 रकबा 13 विस्वा स्थित कस्बा करौली–9 के किसी भी भू–भाग पर प्रार्थी अपीलाण्ट का कोई कब्जा शुरू से आज तक नहीं रहा है और ना ही आज है और ना ही प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजीयात् के किसी भू–भाग पर नोटिस में वर्णित व्यावसायिक दुकान एवं रिहायशी मकान वगै. का निर्माण कार्य आराजी ख.नं. 5322 में से 10X10 फीट पर एवं 5323 में 20X20 फीट आराजी को दबाते हुए नहीं किया गया है और ना ही मौके पर व्यावसायिक दुकान व रिहायशी मकान वगै. का कोई अस्तित्व है। जिस निर्माण के अस्तित्त होने के बाबत् पटवारी हल्का द्वारा जो एकतरफा में मौका मुआयना किया गया था, उसमें भी अविकथन नहीं किया गया, फिर भी इसके बावजूद प्रार्थी अपीलाण्ट के विरुद्ध उक्त निर्णय पारित करने में मातहत अदालत द्वारा कानूनी भूल की है इसलिये मातहत अदालत द्वारा काबिल मंसूख है। मातहत अदालत ने उक्त निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया गया कि उक्त आराजी खसरा नं. 5322 में से 200 वर्गमीटर एवं खसरा नं. 5323 में से 800 वर्गमीटर भूमि को भारत सरकार द्वारा निर्मित करवाये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 11–बी (गंगापुर–धौलपुर) में सड़क की चौडाई बढ़ाये जाने के उद्देश्य से अवाप्त कर लिया गया है और जिसका गजट नोटिफिकेशन भी दिनांक 17.04.2017 को जारी कर दिया गया है तथा जिस गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन दिनांक 12.05.2017 को आमजन को सूचनार्थ हेतु राष्ट्रदूत समाचार पत्र वगै. में भी प्रकाशित कर दिया गया है। जिस अवाप्त किये गये रकबे को देय नोटिस में मातहत अदालत द्वारा कम नहीं किया गया है। जिस सडक के संदर्भ में पटवारी हल्का द्वारा जो एकतरफा में दिनांक 25.10.2018 को मौका मुआयना किया गया था, उस मौका रिपोर्ट के बिन्दु नं. 4 पर यह स्पष्टतः अविकथन किया गया कि "जो आम सड़क केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 11–बी (गंगापुर–धौलपुर) को वर्तमान सड़क को चौड़ा करते हुए निर्माण कार्य करवाया गया है, उसमें कितनी भूमि अवाप्ति में ली गयी है, उसका कोई नक्शा प्लान प्राप्त ना होने के कारण चौडाई की

जिला कलक्टर
करौली

नाप किया जाना संभव नहीं है।" जिस इबारत में से 'नहीं' शब्द को काटकर यह अविकथन किया गया कि "चौड़ाई की नाप तभी संभव है।" इसके बावजूद बिना किसी साक्ष्य एवं आधार के मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट के विरुद्ध उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है इसलिये आदेश मातहत अदालत काबिल मंसूख है।उक्त आराजीयात खसरा नं. 5322 व 5323 से लगी हुयी आराजी 5321 है। जिस आराजी खसरा नं. 5321 के संपूर्ण रकबे में आमजन की रिहायशी मकानियत वगै. बन चुकी है और जिसके भूमि रूपांतरण पट्टे भी नगर परिषद करौली द्वारा जारी किये जा चुके हैं। प्रार्थी अपीलाण्ट की जो अर्द्ध निर्मित मकानियत पटवारी हल्का द्वारा अपने एकतरफा रिपोर्ट में अंकित किया गया है, वह कुल अर्द्ध निर्मित मकानियत का निर्माण आराजी खसरा नं. 5321 के भू-भाग में ही स्थित है और जो निर्माण कार्य काफी समय पूर्व का बना हुआ है। जिस निर्माण कार्य में आराजी खसरा नं. 5322 एवं 5323 के किसी भू-भाग को प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा करके नहीं दबाया गया है। इसके बावजूद मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को विधि के प्रावधानों के विपरीत आराजी खसरा नं. 5323 में 30X20 फीट यानि 66.66 वर्गगज पर व्यावसायिक दुकान एवं रिहायशी मकान वगै. मौके के विपरीत निर्मित मानते हुए उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है, जो आदेश मातहत अदालत काबिल मंसूख है। मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट का बिना किसी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर आराजी खसरा नं. 5323 में 30X20 फीट के परिक्षेत्र पर कब्जा होना विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राकृतिक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए कयासी तौर पर मानने में कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रार्थी अपीलाण्ट की जानकारी में लाये बिना प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए तैयार की गयी है, उस रिपोर्ट में किये गये सीमांकन के बाबत् कोई मुस्तकिल बिन्दु नहीं बताया गया है और ना ही कोई नक्शा मौका ही रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है और ना ही उक्त आराजी से लगी हुई आराजी खसरा नं. 5321 की कोई नाप वगै. ही की गई है। उक्त आराजी खसरा नं. 5322 एवं 5323 स्थित कस्बा करौली-9 सरकारी भूमि नहीं है और ना ही यह भूमि सरकारी सिवायचक / चारागाह भूमि की तारीफ में आती है इसलिये ऐसी आराजीयात् पर धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं फिर भी इसके बावजूद उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है इसलिये आदेश मातहत अदालत काबिल मंसूख है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। अवाप्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि मातहत् अदालत् द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को तारीख

जिला कलक्टर
करौली

पेशी पर उपस्थित होने हेतु जारी नोटिस में मौका पटवारी रिपोर्ट के विपरीत तथ्य अंकित किये गये थे। नोटिस की प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा मातहत् अदालत में सही तथ्यों के साथ दिनांक 16.11.2018 को अपनी जबावदेही मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी गयी थी। इसके बाद मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही उक्त प्रकरण में प्रार्थी अपीलाण्ट की ओर से बहस सुनी गयी। मातहत अदालत ने उक्त पत्रावली में दिनांक 16.11.2018 को वास्ते प्रत्युत्तर/पूरक प्रत्युत्तर/बहस एवं निर्णय तारीख पेशी 26.11.2018 की नियत की गयी थी और उस तारीख पेशी पर मातहत् अदालत द्वारा चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण कोई आगामी तारीख पेशी उक्त पत्रावली में नहीं दी गई थी बल्कि पूछने पर रीडर साहब द्वारा यह कहा गया कि "पी.ओ. साहब राज. विधानसभा चुनाव कार्य में व्यस्त चल रहे हैं और पत्रावली उन्हीं के पास में है इसलिये चुनाव हो जाने के बाद आगामी तारीख पेशी बता दी जायेंगी।" जिस पर प्रार्थी अपीलाण्ट एवं वकील साहब द्वारा विश्वास किया गया लेकिन मातहत अदालत द्वारा उक्त पत्रावली में बिना प्रार्थी अपीलाण्ट एवं वकील साहब को सुने, बिना बहस किये उक्त निर्णय पारित कर दिया गया। नोटिस में वर्णित आराजी खसरा नं. 5322 रकबा 2 विस्वा एवं खसरा नं. 5323 रकबा 13 विस्वा स्थित कस्बा करौली–9 के किसी भी भू–भाग पर प्रार्थी अपीलाण्ट का कोई कब्जा शुरू से आज तक नहीं रहा है और ना ही आज है और ना ही प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजीयात् के किसी भू–भाग पर नोटिस में वर्णित व्यावसायिक दुकान एवं रिहायशी मकान वगै. का निर्माण कार्य नहीं किया गया है और ना ही मौके पर व्यावसायिक दुकान व रिहायशी मकान वगै. का कोई अस्तित्व है। मातहत अदालत ने उक्त निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं किया गया कि उक्त आराजी खसरा नं. खसरा नं. 5323 में से 800 वर्गमीटर भूमि को भारत सरकार द्वारा निर्मित करवाये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 11–बी (गंगापुर–धौलपुर) में सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जाने के उद्देश्य से अवाप्त कर लिया गया है और जिसका गजट नोटिफिकेशन भी दिनांक 17.04.2017 को जारी कर दिया गया है तथा जिस गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन दिनांक 12.05.2017 को आमजन को सूचनार्थ हेतु राष्ट्रदूत समाचार पत्र वगै. में भी प्रकाशित कर दिया गया है। उस अवाप्त किये गये रकबे को देय नोटिस में मातहत अदालत द्वारा कम नहीं किया गया है। उस सड़क के संदर्भ में पटवारी हल्का द्वारा जो एकतरफा में दिनांक 25.10.2018 को मौका मुआयना किया गया था, उस मौका रिपोर्ट के बिन्दु नं. 4 पर यह स्पष्टतः अविकथन किया गया कि "जो आम सडक केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 11–बी (गंगापुर–धौलपुर) को वर्तमान सड़क को चौड़ा करते हुए निर्माण कार्य करवाया गया है, उसमें कितनी भूमि अवाप्ति में ली गयी है, उसका कोई नक्शा प्लान प्राप्त ना होने के कारण चौड़ाई की नाप किया जाना संभव नहीं है।" जिस इबारत में से 'नहीं' शब्द को काटकर यह अविकथन किया गया कि "चौड़ाई की नाप तभी संभव है।" पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.05.2018 के मद नं. 3 में भी अतिक्रमण को

जिला कलक्टर
करौली

अनुमानित बताया गया है। केवल अनुमानित आधार पर ही सीमाज्ञान किया गया है। उक्त आराजीयात खसरा नं. 5322 व 5323 से लगी हुयी आराजी 5321 है जिसके संपूर्ण रकबे में आमजन की रिहायशी मकानियत वगै. बन चुकी है और भूमि रूपांतरण पट्टे भी नगर परिषद करौली द्वारा जारी किये जा चुके हैं। प्रार्थी अपीलाण्ट की जो अर्द्ध निर्मित मकानियत पटवारी हल्का द्वारा अपने एकतरफा रिपोर्ट में अंकित किया गया है, वह कुल अर्द्ध निर्मित मकानियत का निर्माण आराजी खसरा नं. 5321 के भू–भाग में ही स्थित है और वह निर्माण कार्य काफी समय पूर्व का बना हुआ है जिसमें आराजी खसरा नं. 5323 के किसी भू–भाग को प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा करके नहीं दबाया गया है। इसके बावजूद मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट को विधि के प्रावधानों के विपरीत आराजी खसरा नं. 5323 में 30X20 फीट यानि 66.66 वर्गगज पर व्यावसायिक दुकान एवं रिहायशी मकान वगै. मौके के विपरीत निर्मित मानते हुए निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा तैयार की गई मौका रिपोर्ट में सीमांकन के बाबत् कोई मुश्तकिल बिन्दु नही बताया गया है और ना ही कोई नक्शा मौका ही रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है और ना ही उक्त आराजी से लगी हुई आराजी खसरा नं. 5321 की कोई नाप वगै. ही की गई है। तहसीलदार द्वारा किसी मुश्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान नहीं किया गया है। अतिक्रमण की माप को लगभग बताया है। उक्त आराजी खसरा नं. 5323 स्थित कस्बा करौली–9 सरकारी भूमि नहीं है और ना ही यह भूमि सरकारी सिवायचक/चारागाह भूमि की तारीफ में आती है इसलिये ऐसी आराजीयात् पर धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

रेस्पोण्डेण्ट ने बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि का दिनाक 27.05.2018 व 21.10.2018 को सीमाज्ञान किया गया है। अतिक्रमियो के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत विधिसम्मत् एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। खसरा नं. 5322 व 5323 वाके कस्बा करौली–9 के संबंध मे रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 27.05.2018 के मद नं. 3 में अतिक्रमण को अनुमानित तथा मद नं. 4 में NH-11B के लिए अवाप्त भूमि का आदेश एवं नक्शा प्लान प्राप्त नहीं होने के कारण चौड़ाई की माप संभव नहीं होना बताया है। इस प्रकार दिनांक 27.05.2018 व 21.10.2018 को किसी मुश्तकिल बिन्दु से नहीं किया गया है एवं अतिक्रमण की माप को लगभग बताया है। NH-11B के लिए उक्त खसरा नंबरान में से अवाप्त की गई भूमि के संबंध में तहसीलदार करौली द्वारा भी अपने विवेचन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार NH-11B के लिए अवाप्त भूमि का रकबा उक्त खसरा नंबरान की भूमि में से कम किया जाकर किसी मुश्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान किये जाने के उपरांत ही अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता

जिला कलक्टर
करौली

लगाया जा सकता है। केवल अनुमान के आधार सीमाज्ञान किया जाकर किसी को अतिक्रमी नहीं ठहराया जा सकता। अतः मुस्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान कराये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अस्तु अपील, अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली का जैर अपील आदेश दिनांक 30.11.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह खसरा नं. 5322 व 5323 बाके कस्बा करौली–9 का मुस्तकिल(स्थाई) बिन्दु से सीमाज्ञान करके अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली